न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 920–एक/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 04/2006–07/अपील.

1. जोजनसिंह आत्मज श्री केसरसिंहजी
2. यशवन्तसिंह आत्मज श्री केसरसिंहजी
3. मेहनसिंह आत्मज श्री केसरसिंहजी
4. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री केसरसिंहजी
   समस्त निवासीगण ग्राम कमलियाखेड़ी
   तहसी गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
5. बिहादुर सिंह आत्मज श्री जगन्नाथ सिंह
6. भेरूसिंह आत्मज श्री जगन्नाथ सिंह
   निवासीगण ग्राम कमलिया खेड़ी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
7. देवबाई पिता जगन्नाथ सिंह
   निवासी ग्राम कमलिया खेड़ी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
8. श्रीमती भंवरबाई पति श्री सोदानसिंह
   निवासी ग्राम कमलिया खेड़ी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
9. रमेशगिर पिता श्री केसरगिर
   निवासीगण ग्राम कमलिया खेड़ी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. मानसिंह आत्मज श्री किशोरसिंहजी
2. अमृतलाल आत्मज श्री किशारेसिंहजी
3. चन्नीलाल आत्मज श्री जगदीशप्रसादजी
4. चिन्ताराम आत्मज श्री जगदीशप्रसादजी
5. हरीसिंह आत्मज श्री अनारसिंहजी
   निवासीगण ग्राम कमलियाखेड़ी तहसील गुलाना

6. श्रीमती शेरकुंवरबाई पति श्री उदयसिंहजी
   पुत्री जगन्नाथसिंहजी निवासी सुन्दरसी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
7. श्रीमती कैलाशबाई पति रामसिंहजी पुत्री
   श्री जगन्नाथसिंह निवासी ग्राम कमलिया खेड़ी
   तहसील गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
8. श्रीमती लाडकुंवरबाई पति श्री बहादुरसिंह
   निवासी ग्राम कमलिया खेड़ी तहसील
   गुलाना जिला शाजापुर म0प्र0
9. श्रीमती चतरबाई पति श्री बहादुरसिंह
   निवासी ग्राम विकलाखेड़ी तहसील व
   जिला शाजापुर म0प्र0
10. रूघनाथ आत्मज श्री रायसिंह
    निवासी वजीरपुरा व्यायामशाला के सामने
    शाजापुर म0प्र0
11. भगवानसिंह आत्मज रायसिंह
    निवासी ग्रामकमलिया खेड़ा तहसील गुलाना
    जिला शाजापुर
12. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर शाजापुर म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक आवेदक
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 4
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अनावेदक कमांक 10

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1,2,3, 4 के द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के तहत करते

हुए ग्राम कामलियाखेड़ी के खाता कमांक 178 वर्ष 2000–03 की नकल प्रस्तुत करते हुए उनके हिस्से के मान से व कब्जे के मान से बटवारा चाहा। प्रकरण में कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 3–1–2005 को आदेश पारित कर बटवारा स्वीकृत किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–8–06 के द्वारा अपील खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन को प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–6–2009 के द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि पटवारी अभिलेख में अंकित हिस्से के मान से यह गणना करें कि प्रत्येक भूमिस्वामी के हिस्से में कुल कितनी भूमि आनी चाहिए तथा कितनी भूमि पर उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, भूमि असिंचित ह तथा उपजाऊपन समान स्वरूप की है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुये सही गणना करते हुये, गणना के आधार पर हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करते हुये जिस व्यक्ति को जितनी भूमि हिस्से में दी जा रही है उसके संबंध में स्पष्ट आधार अंकित करते हुये बंटवारे के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत खाता नकल पटवारी द्वारा प्रस्तुत बटवारा पत्र एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र के पैरा 1 के वर्णित भूमि एवं हिस्से चारों का मिलान करने पर तहसील आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी आदेश

में किसी प्रकार की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नहीं थी फिर भी प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 22–6–09 का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 4 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि उनके द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम कय की है उसी आधार पर तहसील न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन दिया था परन्तु तहसील न्यायालय ने रिकार्ड नहीं देखा तथा दस्तावेजों एवं खसरों का अवलोकन किये बिना बिना स्थल के जांच के आदेश पारित करने में त्रुटि की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने भी इन तथ्यों पर विचार किए बिना अपील निरस्त कर दी। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त पूर्ण जांच हेतु फिर से प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 10 के अभिभाषक ने अनावेदक अभिभाषक के तर्कों का समर्थन किया।

6/ शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह पाते हुये कि तहसीलदार ने बंटवारा आदेश में किसी को कम किसी अधिक भूमि देने का स्पष्ट आधार नहीं बताया ह। यदि भूमि सिंचित हो, अधिक उपजाऊ हो तो उसका स्पष्ट आधार बताते हुये किसी को कम किसी को आधिक भूमि दी जा सकती है। इसी कारण अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय को विधिवत सिंचित/असिंचित

तथा उपजाऊपन समान स्वरूप के है या भिन्न भिन्न इस पर गंभीरता से विचार करते हुये सही गणना करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित हेतु प्रत्यावर्तित किया है। आवेदक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हों तो उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष यदि विधिअनुकूल न हो तो उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी कारण अपर आयुक्त ने विधिवत जांच उपरांत बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन अदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग का आदेश दिनांक 22–6–09 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर